राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/पार्ट–I/80830/2015 जयपुर, दिनांक : 28 DEC 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आधार आधारित भुगतान किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 25.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के आधार नंबर का लिंकेज उनके बैंक खाते के साथ किये जाने के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया था, इसके पश्चात भी कुछ जिलों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

आधार सीड़िंग एवं ABPS (Aadhar Based Payment System) भुगतान के संबंध में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. जिन श्रमिको के आधार नम्बर जारी नही हुए है, उनका आधार हेतु रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही दिनांक 31.12.2016 तक आवश्यक रूप से की जावें
2. जिन श्रमिको को आधार नम्बर जारी किये किये जा चुके है, उन श्रमिको को आधार आधारित भुगतान हेतु सहमति पत्र कार्य स्थल पर भरवाकर एवं श्रमिको से आधार नम्बर की फोटो प्रति प्राप्त कर विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी को जमा करवायी जावे।
3. ग्राम पंचायतवार प्राप्त उक्त सूचना को पंचायत समिति स्तर से एक्सल फाइल में संलग्न परिशिष्ठ–1 के अनुसार इकजाई की जावे।
4. बैंक शाखावार इकजाई सूचना की सॉफ्ट कॉपी एवं सहमति पत्रों की एक प्रति संबन्धित बैंक शाखा में विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को आधार नम्बर को बैंक खाता संख्या के साथ लिंकेज हेतु जमा करवायी जावेगी।
5. एक्सल फाइल में इकजाई की गयी सूचना को ई–मेल के माध्यम से विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को उपलब्ध करवायी जावेगी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद स्तर से पंचायत समितिवार प्राप्त एक्सल फाइल की सूचना को इकजाई कर जिले के LDM (Lead District Manager) को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।
7. योजनान्तर्गत आधार आधारित भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग नियमित समयान्तराल पर रखी जावें।
8. LDM (Lead District Manager) से एक्सल फाइल में उपलब्ध करवायी गयी सूचना के आधार पर आधार नम्बर के बैंक खाते के साथ लिंकेज की प्रगति की नियमित समीक्षा उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार करवायी जावे।

उक्तानुसार तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर समस्त श्रमिकों को ABPS से जोडे जाने की कार्यवाही दिनांक 31.01.2017 तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जावे।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(देबाशीष पृष्टि)
आयुक्त, ईजीएस
28/12/16

H:\SKM 2014-15\MIS letter.docx

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

H:\SKM 2014-15\MIS letter.docx

District Name -
Block Name -
GP name -

S.N.	Account holder name	Bank name	Bank Branch name	Account number	Aadhar number
1	2	3	4	5	6

Sign of Gram Sevak

Sign of Sarpanch